सप्लाई विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 27/2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023/649

<u>प्रार्थी</u> :–

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना लूणी जोधपुर कमिश्नरेट।

बनाम

<u>अप्रार्थीपक्ष</u> :–

1. सुरेश पुत्र हडमानराम, निवासी फिटकासनी, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर।
2. पंपुराम पुत्र भभूतराम, निवासी खेजडलीकलां, लूणी, जिला जोधपुर।
3. अर्जुन पुत्र भीखाराम, निवासी खेजडलीकलां, लूणी, जिला जोधपुर।
4. भगवानसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, निवासी बलेरा, सदर बाडमेर, बाडमेर।
5. अमराराम पुत्र देवाराम, निवासी हमीर नगर, फींच, लूणी, जोधपुर।
6. बीरबलराम पुत्र भीखाराम, निवासी खेजडलीकलां, लूणी, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट पीएस लूणी जोधपुर पश्चिम में जब्तशुदा तरल पदार्थ अवैध मिलावटी डीजल का निस्तारण धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत।

<u>उपस्थिति</u> :–
अधिवक्ता श्री विजयराज विश्नोई व अशोक विश्नोई (अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 तक)

–: <u>आदेश</u> :– दिनांक :– 10.06.2024

थानाधिकारी पुलिस थाना लूणी ने इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट जब्तशुदा डीजल का निस्तारण धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत करने हेतु प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त में इस्तगासा के तथ्य इस प्रकार है राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी लूणी, पश्चिम जोधपुर कमिश्नरेट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी बिरबलराम पुत्र श्री भीखाराम के पेश हुआ जाहिर किया कि दिनांक 15.10.2021 को वक्त 7.30 पीएम पर बमुकाम एमडीएम अस्पताल कानून व्यवस्था डयूटी के दौरान मन सहायक पुलिस आयुक्त बोरानाडा को जरिये डीएसटी टीम प्रभारी के सूचना मिली की गांव खेजडली में विश्नोईयों की ढाणी के पास महादेव के मन्दिर के पास में बिरबलराम ने रोड़ में अवैध रूप से डीजल पेट्रोल भरने की मशीन लगा रखी है एवं अवैध पेट्रोल पम्प लगा कर रोड़ पर [illegible] को असली डीजल बताकर नकली डीजल भरकर [illegible] कर रहा है। मन् सहायक

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

पुलिस आयुक्त बोरानाड़ा कानूना व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने पर एमडीएम अस्पताल में ड्यटी में तैनात लूणी थानाधिकारी देवीचन्द नि0 पु0 मय अन्य पुलिस जाब्ता को इत्तला से अवगत कराया तथा मौके पर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया। मौके पर पेट्रोल डीजल भरने जैसा पम्प लगा हुआ जहां अन्दर की तरफ एक टैंकर जिसके रजि0 नं0 जीजे 12 एटी 9629 खड़ा था। उक्त टैंकर पास में जमीन में गढे हुए टैंक में खाली हो रहा था। पम्प के आगे की तरफ एक पिकअप गाड़ी जिस पर छोटा टैंक लगा हुआ था। अप्रार्थीगण को टैंकर में भरे पदार्थ के बारे में पूछा तो उन्होने डीजल होना बताया तथा डीजल के संबंधित बिल कागजात के बारे में पूछा तो कोई बिल व कागजात नहीं होना बताया। प्रकरण में जब्तशुदा डीजल व वाहनों को राजसात् करने के लिए इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया।

इस्तगासा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजयराज विश्नोई व अशोक विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस दिनांक 29.05.2024 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थीपक्ष अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि पत्रावली में अनुसंधान के दौरान उक्त तरल द्रव्य पदार्थ के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा रिजनल फोरेंसिक साईस लेब्रोरेटरी, मण्डोर, जोधपुर से द्रव्य के डीजल होने या नहीं होने की रिपोर्ट तलब की गई, जो थानाधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि "the liquid sample contained in the packet marked C and F did not confirm the BIS specification of Diesel (IS-1460 : 2017) in respect of distillation characteristics, kinematic Viscosity at 40^0 c and Relative density at 15^0C ." अतः उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जब्तसुदा तरल द्रव्य जिसे डीजल होने के संदेह में जब्त किया गया है उक्त तरल द्रव्य डीजल के मानक पूरा नहीं करता है जिसके संबंध में कहा जा सकता है कि द्रव्य डीजल की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त जब्त सुदा तरल द्रव्य के संबंध में प्रार्थी का शुरू से कहना है कि उक्त तरल द्रव्य BASE OIL N 70 है और विधि अनुसार उसका क्रय किया गया है जिसके संबंध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा BASE OIL N 70 के खरीद का बिल, ई–वे बिल व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये जा चुके है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

तरल द्रव्य जिसे अप्रार्थी द्वारा BASE OIL N 70 होना बताया जा रहा है, जिसके खरीदने के संबंध में प्रक्रिया के बारे में थानाधिकारी से पुछा गया तो उसके संबंध में किसी भी ट्रान्सपोर्टर द्वारा अपने स्वयं के वाहनों के लिए BASE OIL N 70 का खरीद करना विधिक तौर पर सही है यदि इस सबंध में खरीददार द्वारा BASE OIL N 70 कम्पनी को अपने ट्रान्सपोर्ट वाहनों के निजी उपयोग के लिए व बेचान नहीं किये जाने के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया हुआ हो।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि थानाधिकारी लूणी द्वारा जो नमूना जांच के लिए भेजा गया उसका Flash point जांच रिपोर्ट में 185 डिग्री सेन्टिग्रेड तथा 15 डिग्री सेन्टिग्रेड पर Density 0.8107 आई है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह पेट्रोलियम पदार्थ की "C" श्रेणी में भी नहीं आता है। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार ने BASE OIL N 70 के भण्डारण के संबंध में अभिनिर्धारित किया है कि "BASE OIL N 70 is methylester and made out of waste of edible, non deible oil (S) and organic material by the process of esterification and having a flash point of 160 degree centigrade. Methylester is not a petroleum and does not attract the provision of Petroleum Rules, 2002. अतः जब्तशुदा BASE OIL N 70 पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू नहीं होता है। राजस्थान जैव ईधन नियम, 2019 के अन्तर्गत राज्य में पंजीकृत BASE OIL N 70 विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा ही किसी ट्रांस्पोटर/ईंडस्ट्रीज/फ्लीट मालिक को भारतीय ब्यूरों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और विनिर्दिष्ट मिश्रण सीमाओं के अनुसरण में स्वयं के वाहनों/उपकरणों में उपभोग के लिए BASE OIL N 70 का थोक विक्रय किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि जब्तसुदा तरल द्रव्य BASE OIL N 70 है या नहीं, इस संबंध में प्रार्थी थानाधिकारी लूणी द्वारा जब्तशुदा BASE OIL N 70 का नमूना जांच हेतू सहायक निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर भेजा गया। उक्त नमूने की रिपोर्ट दिनांक 15.02.2024 को थानाधिकारी पुलिस थाना लूणी द्वारा पेश की गई। सहायक निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर से उक्त तरल द्रव्य के संबंध में आयी रिपोर्ट एवं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड, 2005 नई दिल्ली द्वारा BASE

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

OIL N 70 के संबंध में जारी मानक के अनुसार उक्त नमूने के density, और Flash point के आधार पर उक्त नमूना डीजल होना नहीं बताया।

अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थी का खरीदसुदा BASE OIL N 70 एक वर्ष से अधिक समय से थाने में पडा है और वर्तमान में न्यायालय के समक्ष आयी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जब्त किया गया तरल द्रव्य BASE OIL N 70 है तथा प्रार्थी को जरिये बिल से विधि अनुसार खरीद किया हुआ है, जिसे अनिश्चित समय तक थाने में पड़ा नहीं रखा जा सकता है, जिसे रिपोर्ट आ जाने के बाद छोड़ा जाना न्यायोचित है, जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त सुन्दरभाई अम्बालाल भाई देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2003 सी.आर.एल.आर. सुप्रीम कोर्ट 103 भी प्रस्तुत किया। सहायक निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर की एफ.एस.एल. रिपोर्ट के परिणाम को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामले में जब्त तरल द्रव्य BASE OIL N 70 है।

प्रार्थी ने बतलाया कि उनके द्वारा नकली व मिलावटी डीजल होने की आशंका में पकडा गया था जिसके सम्बंध में भेजे गये नमुनो की रिपोर्ट पत्रावली पर आ गयी है जो न्यायालय के समक्ष है और प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः अप्रार्थी की फर्म ए के एन्टरप्राईजेज नाम से पंजीबद्ध है। अप्रार्थीगण की फर्म को उद्योग में काम में लिये जाने वाले बैस ऑयल का भण्डारण का लाईसेन्स भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो) द्वारा लाईसेन्स जिसके नम्बर P/SC/TN/15/0087(P00087) दिनांक 28.08.2021 को जारी किया गया है। जिस कारण उनके द्वारा स्वयं के उद्योग के निजी उपयोग हेतु BASE OIL N 70 की खरीद करना बताया। द्वितीयतः प्रार्थी थानाधिकारी लूणी द्वारा जब्तसुदा डीजल का नमूना जांच हेतु सहायक निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर भेजा गया। उक्त नमने की रिपोर्ट दिनांक 15.02.2024 को थानाधिकारी पुलिस थाना लूणी द्वारा पेश की गई। सहायक निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर से तरल द्रव्य के संबंध में आयी रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

एवं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड, 2005 नई दिल्ली द्वारा BASE OIL N 70 के संबंध में जारी मानक के अनुसार उक्त नमूने के density और Flash point के आधार पर उक्त नमूना डीजल नहीं होकर BASE OIL N 70 प्रतीत होता है। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी (प्रथम) को उक्त नमूने की उक्त एस0 एस0 एल0 रिपोर्ट भेजकर विवेचना कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए लिख गया। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर ने भी बतलाया कि प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ डीजल की मानकता का नहीं है। उक्त नमूने के संबंध में आयी रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना डीजल नहीं होकर BASE OIL N 70 प्रतीत होता है तथा BASE OIL N 70 धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में सम्मिलित नहीं है तथा ऐसी स्थिति में जब्तसुदा माल को धारा 6 ए के तहत राज्यसात् करना न्यायहित में नहीं होगा। परिणामस्वरूपः प्रकरण में जब्तसुदा वाहन टैंकर जिसके रजि0 नं0 जीजे 12 एटी 9629 में जब्त 20000 लीटर BASE OIL N 70 तथा पिकअप वाहन जिसके रजि0 नं0 आरजे 19 जीई 7570 में जब्त 2000 लीटर BASE OIL N 70 को रिलीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना लूणी को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में जब्त BASE OIL N 70 की किसी अन्य मामले में आवश्यकता नही होने पर प्रार्थी बिरबलराम द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार लौटाया जावें। प्रकरण में जब्तशुदा दोनों वाहनों को पूर्व में ही जमानतनामा व सुपूर्दगीनामा पर रिलीज किया जा चुका है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested